फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम गुरदीप सिंह**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/147/**2022 दायर दिनांक** 06.05.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी गुरदीप सिंह पुत्र फलक सिह जाति रायसिख निवासी ग्राम इन्द्रपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन टाटा टैम्पो रजि0 सं0 आर.जे. 02 जी.बी. 7198 धारा 5, 6, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना गोविन्दगढ़ द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी गोविन्दगढ़ द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टाटा टैम्पो रजि0 सं0 आर.जे. 02 जी.बी. 7198 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन टाटा टैम्पो रजि0 सं0 आर.जे. 02 जी.बी. 7198 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/– तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 06.06.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर	

06/06/22

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी
गवाह अ.हा। वास्ते पेश करने
गवाहान / मुद्दई दस्तावेज दिनांक
21/06/22 को पेश हो

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

08/06/22

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
पर पत्रावली तलब होकर
पेश हुई। निर्धारित तारीख
के पश्चात् इकरारनामा व मुद्दईयान
पेश किये जो शामिल कर
शामिल पत्रावली किये। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद
तकमील दफ्तर दाखिल
हो

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)